Title: Request the Government not to allow the foreign advocates to practice in India.

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और ऐवान का एक बहुत अहम मसले पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं। आज दिल्ली के सारे वकील चाहे वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, स्ट्राइक पर हैं, चूंकि सरकार एडवोकेट एक्ट के अन्दर अमैंडमैंट लाना चाहती है। इसके अन्तर्गत विदेशी वकीलों को इस बात की इजाजत होगी कि वे हिन्दुस्तान में वकालत कर सकें। हिन्दुस्तान के वकीलों के लिए प्रपोज किया गया है कि हर पांच साल के बाद हर वकील को एक इम्तहान क वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद तय किया जाएगा

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: What do you want the Government to do?

श्री राशिद अल्वी : उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया जाएगा या नहीं? मेरी दृष्टि में अगर यह अमैंडमैंट हुआ तो इसका मजाक होगा।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री राशिद अल्वी : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हाई कोर्ट के बहुत सारे रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। यह बात कितनी मुअजखा खेज होगी कि उन्हें इम्तहान में बैठाया जाए। मेरा सरकार से मुतालबा है कि पांच साल के बाद रिन्यूवल हो सकता है लेकिन फॉरेन नेशनल एडवोकेटस को हिन्दुस्तान में प्रेक्टिस की इजाजत नहीं होनी चाहिए चूंकि हिन्दुस्तान के वकीलों को कहीं भी वकालत करने की इजाजत नहीं है। इस तरीके का कोई भी इम्तहान अगर सरकार चाहेगी तो उसकी हिन्दुस्तान में भारी मुखालफत होगी।